कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 1851 /13–कसियालेख दिनांक 21/ 11 /2019

सेवा में,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० भवाली (नैनीताल)
पत्रांक 4030
पत्रावली सं० 8सी०
दिनांक 21/11/19
विषय

अधिशासी अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली नैनीताल ।

जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत कसियालेख– कौलधारी–परबडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.7425 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(on line no.FP/UK/ROAD/20395/2016)

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0पी0सी0/06/253/2016/एफ0सी0/583 दिनांक 26.06.2018. एंव अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोड्ल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 06 /FP/UK/ROAD/26395/2016 देहरादून, दिनांक 07.07..2019 आपका पत्रॉक 1554/8सी दिनॉक 7–11–2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना हैं ।

1– शर्त न0 1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रू0 **1.7425** X 2= 3.485 **है0** X **3,06,531.00** = 10,68,260.00 (रू0 दस लाख अडसठ हजारः दो सौ साठ) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 972/3–5–2 दिनॉक 21–11–2017 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया हैं । क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम अधौडा सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण एंव हस्तानान्तरण के सुप्रमाण प्रेषित किया जाना हैं

2– शर्त न0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया **1.7425** है0 X 657,000= 11,44,823.00(रू0 ग्यारह लाख चौवालीस हजार आठ सौ तैईस)मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं ।

3– अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 1 में उल्लेख किया गया हैं कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया हैं कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोट किया जायेगा । उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोट करेंगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगें ।

4– शर्त न0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का बजनबद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना हैं कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0की दरों में बढोत्तरी होती हैं तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी ।

5– शर्त न0 4 में निर्देश दिये गये हैं कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost,NPVctc.) **को वेब पोर्टल** पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाय, अन्य माध्यमें से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी ।

Scanned with CamScanner

6– शर्त न0 5 के अनुपालन में सडक निर्माण के पश्चात जहॉ जहॉ सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख मे strip plantation की जायेगी । इस आशय की बचन बद्वता प्रेषित की जानी हैं ।

7– उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 2 में उल्लेख किया गया हैं कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन भारत सरकार के forestsclcarance.nic.in पर Online अपने user account **में जाकर** stage ll clearance में पहले mutatation **की** detail **भरकर एंव समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या** Online नोडल अधिकारी देहरादून के कार्यालय को प्रेषित की जानी हैं तथा हार्ड काफी इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। तत्पश्चात् अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

पत्रांक /उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

आवश्यक
श्री प्रमोद कुमार, खण्डीय समीत
पत्र में दिये गये निर्देशानुसार तुरन्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
अधि. अभि
27/xi/19.

Scanned with CamScanner